

15/10/18

रु-हमा कनाम सुरेश कुमार
साका

डि-5.103/2018

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

बकुलाम उभयपक्ष उपो। प्रकण में बहल व
लाम उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वाले
आदेशार्थ दिनांक 3/07/19 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। प्रकण में बहल बकुलाम
उभयपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दोटाने
बहल बकुलाम उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा
दवा डिली फरमाया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध एजेंच
रेंजिड, पेशशुदा राजीनामा एवं पेशशुदा एजेंचि
जवाब का अवलोकन किया गया जिनके
अवलोकन से वादीगण का वाद स्वीकार किया
जाते योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार
किया जाता है तथा घोषणा इस आशय की
जाती की जाती है कि :-

निर्णय

तन ग्राम माद्योकावास प०ह. मादवाडी तहसील बरेली
अवस्थित क्षुषि क्षुषि ख०नं. 49, 50 एका 1.94 है।
में बृत्क सुजी पुत्री नारायणदास हिस्सा 1/2 व मुक्त
गौरी पत्नि नारायणदास हिस्सा 1/2 का नाम
हजरु किया जाकर उसके त्याग पर वादी सं०
1 को हिस्सा 1/24, वादी सं० 2, 1/6 का हिस्सा
1/24 तथा वादी सं० 3 को हिस्सा 1/24 व उतिवकी
सं० 1 का हिस्सा 1/24 का बहिस्सा बरकर
आदेशकार कारतकार घोषित किया जाता है तथा

तारीख हुक्म

तन ग्राम माधोनाबाद प.ह. प्रायवाडी तहसील खण्ड
 अवस्थित कृषि भूमि ख.नं. 21, 238, 239 खण्ड
 5.02 हे. में मृतक सुजी प्री नारायणदास हिस्सा
 1/6 व मृतक गणेशी पालि नारायणदास हिस्सा 1/6
 का नाम हजफ किया जाकर उनको ल्याल पर
 वादी सं. 1 को हिस्सा 1/2, वादी सं. 2, 3 व 4 को
 1/2, वादी सं. 3 को हिस्सा 1/2 व उत्तिवादी सं.
 1 व 4 को हिस्सा 1/2 का बहिस्सा बटाबट
 खातेदार कारतकार घोषित किया जाता है तथा
 शेष खातेदारी बदस्तूर रखी जाती है। तहसीलदार
 खण्डला उक्त हिस्से पर जमायोग्य Stamp शुल्क
 जमावा हक त्याग शुल्क राजकोष में जमा ली
 जाकर उक्तानुसार राजस्व रेकोर्ड में उमल दाखल
 करें। तदनुसार पचा डिफ्री मूवी हो। पत्राफस
 पैसल शुमार हींकर नम्बर से कम हो तथा काय
 तन्मील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।



8/21/07/19
 सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) खण्डेला

डिक्री मुकदमा इस्तदाई

(ओ. 20 रूत 6-7 जास्ता जीवानी)

सहामक कलेक्टर फास्ट ट्रेक मुकाम खण्डेला

श्री महीपाल सिंह, RAS

① कहेया * बनाम ① मुकेश कुमार *

दावा वावत दस्तकाल हक

मुकदमा नं. 103 सन 2018

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रूबरु श्री महीपाल सिंह, RAS

श्री राजेश बेबड. गिनजानिव मुद्दई रूबरु श्री रामवता बिजाराषीमां

गिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकन दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि

ज ग्राम माधोकाबास पंच. भायवाडी तहसील खण्डेला अखित कृषि ग्रूप ख.नं. 49, 50 कवा 1.9 पेटे. में मृतक सुजाजी पुत्री नारायणायस हिस्सा 1/12 व मृतक गणेशी पत्नी नारायणायस हिस्सा 1/12 का नाम हजफ किया जका अकै स्वात पट वादी सं. 1 को हिस्सा 1/24, श्री सं. 2 ता 26 को हिस्सा 1/24, वादी सं. 3 को हिस्सा 1/24 व उतिवादी सं. 1 ता पको हिस्सा 1/24 का *

ज मुकदमा वावत
 जो इस मुकदमें के मय सूद बशरह फीसदी आज की तारीख से
 रीख अदायगी तक का अदा करें।

नसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 07 सन 2019 को



दस्तखत
 ओहदा सहायक कार्यालय

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
रताम्य अर्जी दावा			रताम्य अर्जी दावा		
रताम्य वकालत नामा			रताम्य अर्जी		
रताम्य कजह सवृत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			वावत इजराय हुकमनामा		
वावत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
गीजान			गीजान		

1 खर्चा के फार्म भर कुल खर्चा हर दो फरीकोत का चाहे डिग्री के जरिये दिसलना पका हो या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

- * (1) उम्रुदमाल फौत (2) लवणी देवी पालि उम्रुदमाल
 (2/2) उर्मज्जारा (2/3) बनवारीलाल (2/4) नहरी स्वामी
 (2/5) रोशनलाल (2/6) उर्मदे देवी पुत्रगण/पुत्री उम्रुदमाल
 (3) रिद्धपाल पुत्रगण नारायणदास पुत्री उम्रुदमाल
 समस्त जाति स्वामी निवासी उतावालीदानी तन
 ग्राम भादवाडी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.
 बनम
 - वागीगण

- * (1) महावीर उसाद पुत्रगण मंगल
 (2) मैना देवी पुत्री मंगल (3) मूली देवी पालि मंगल
 (4) धौलूराम (5) सुवाराम पुत्रगण सुजी देवी
 (6) उमाती देवी (7) फूली देवी (8) छोटी देवी पुत्रीया सुजी
 (9) रामोतार (10) उज्जारा (11) मूतारीलाल पुत्रगण रिद्धपाल
 (12) गौपाल पुत्र रिद्धपाल पुत्र सुजी देवी
 (13) कमला देवी पुत्री रिद्धपाल पुत्री सुजी देवी
 समस्त जाति स्वामी निवासी उतावालीदानी तन
 ग्राम भादवाडी तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.
 (14) मूनिधारी तहसीलदर खण्डेला
 - उतिवादीगण



* बहिस्सा बराबर छतैदाद काशतकार घोषित किया जाता हैं तथा तन
 माघेकावास पंच. भादवाडी तहसील खण्डेला उक्तास्त्रि कृषि मूषि खण्डेला सं. 2,
 239 काबा 502 है. में मृतक सुजी पुत्री नारायणदास हिस्सा 1/6 व 2
 गौशी पालि नारायणदास हिस्सा 1/6 का नाम हजफ किया जाकर उसके
 पर नारी सं. 1 को हिस्सा 1/12, नारी सं. 2, ता 2/6 को हिस्सा 1/12 व
 3 को हिस्सा 1/12 व उतिवादी सं. 1 ता 4 को हिस्सा 1/12 का बहि
 बराबर छतैदाद काशतकार घोषित किया जाता हैं तथा शेष 3
 बदस्तूर रही जाती है। तहसीलदर खण्डेला उक्त हिस्से पर जमाया
 शुल्क अथवा हक त्याग शुल्क राजकोष में जमा ली जाकर उक्तनुसार
 रेकोर्ड में अमल दामद को।

31/7/19
 नारायण कदवतरे
 (फाट ट्रेक) खण्डेला